तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	अहक की ता
22/12/14	पत्रावली पेश हुई। S.D.O. साहब कोरेश्वर, जिला अलवर में [redacted] द्वारा [redacted] स्थगित [redacted] से पत्रावली आमन्त्रित किया। 02-02-2015 को पेश हो।	
02-02-15	पत्रावली पेश हुई। S.D.O. साहब कोरेश्वर, जिला अलवर में [redacted] द्वारा [redacted] स्थगित [redacted] से पत्रावली आमन्त्रित किया। 06-04-2015 को पेश हो।	
06-04-15	पत्रावली पेश हुई। S.D.O. साहब कोरेश्वर, जिला अलवर में [redacted] द्वारा [redacted] स्थगित [redacted] से पत्रावली आमन्त्रित किया। 27-04-2015 को पेश हो।	
27-04-15	पत्रावली आज पेश हुई। वकील साहब उप० वकील साहब का कहना है कि आवेदक अवसर दस्तावेज पेश करने हेतु दिये जाते रहे। किन्तु अब कोई दस्तावेज पेश नहीं करते से अब अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली का अध्ययन पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार साधन का नाम खसरा नं० 63 व 66 की भूमि का राजस्व रिकार्ड अभिलेख में राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज है, किन्तु खसरा नं० 67 रकबा 15=11 बीघा बा०ज० का राजस्व रिकार्ड में चुन्निबाई राजूसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज है जो गलत अनुमान है। बतौर साक्ष्य सबूत वकील साहब ने खाते, फैमाइशी अंक तालिका व SBBJ बाबा द्वारा जारी पास बुक बचत संख्या की छाया प्रतियां जो पेश की है उक्त दस्तावेजात का अनुसार तथा वस्तुतः कब्जा भूमि की जमाबन्दी व गिरदावरी का आधार पर साधन का प्राप्यता अन्तर्गत धारा 136 RAC 1956 का स्वीकार किया जाना तथा विवादित भूमि मौजा-अमरपुरा पा० हल्का राजीवपावास में स्थित खसरा नं० 67 की भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात एवं आधार जमाबन्दी व गिरदावरी खसरा नं० 63 व 66 का आधार पर राजूसिंह का स्थान राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह दुरुस्त दर्ज किया जाना उचित समझता है। अतः वकील साहब का प्राप्यता अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। मौजा मौजा अमरपुरा पा० हल्का राजीवपावास में स्थित खसरा नं० 67 रकबा 57=10 बीघा बा० ज० भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज नाम राजूसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह दुरुस्त किया जाने के तरमीमात, जैतपुर को आदेश दिये जाते हैं। तरमीमात, जैतपुर का उक्त आदेश की छाया प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हेतु अर्सा अपील बाद तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर। खसरा मण्डार जमा हो।
	SDO

Scanned by CamScanner